THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir. A quick study of 10 commonly used consumer articles was conducted by Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP).

(b) The BICP, inter alia, pointed out that out of the 10 items taken up for study, three main industries, namely the drugs, man-made fibres and cosmetics have not passed on the excise duty concessions in full to the consumers.

(c) There is no legalmechanism to enforce reduction in price to the extent of reduction in excise duty where there is no price control.

ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों द्वारा धरना

2114. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने धरना दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा धरना दिए जाने के क्या कारण थे तथा क्या उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को कोई ज्ञापन भी दिया था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया अथवा कोई आश्वासन दिया है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) अखिल भारत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (ए.आई.आर.आर.बी.ई.ए.) तथा अखिल भारत ग्रामीण बैंक अधिकारी तथा कर्मचारी समन्वय समिति (ए.आई.जी.बी.ओ. एण्ड ई.सी.सी.) ने वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के कार्यालय के सामने क्रमश: दिनांक 22 फरवरी, 1994 और 24 फरवरी, 1994 को प्रदर्शन किया था। सरकार को संबोधित उनके पत्रों में की गई मांगों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के पंचाट के मुताबिक बकाया रकम का भुगतान, तुरन्त वेतन संशोधन, अंशदायी भविष्य निधि और उपदान के अतिरिक्त पेंशन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारीयों सेवा नियमों/पदोन्नति नियमों में संशोधन और राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आदि शामिल है। जहां तक एन.आई.टी. पंचाट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को बकाया रकम का भुगतान किये जाने का संबंध है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इस रकम का भुगतान नहीं कर पाये हैं। तुरन्त वेतन संशोधन, सी.पी.एफ. और उपदान के अतिरिक्त पेंशन, सेवा विनियमों, पदोन्नति और भर्ती नीति में संशोधन आदि जैसी अन्य मांगों पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रस्तावित पुनर्गठन के प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए, नाबार्ड द्वारा विचार करना अपेक्षित होगा।

जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन का संबंध है, वित्त मंत्री ने 28 फरवरी, 1994 को दिये गये अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि वर्ष 1994-95 के दौरान, पूरे देश में स्थित 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 बैंकों के संबंध में, उनके तुलन-पत्रों में सुस्पष्टता लाने तथा नई पूंजी प्रदान करने समेत उनका व्यापक रूप से पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है।

Representation of Trade and Industries in the Boards of Directors of RBI, SBI and IDBI

2115. SHRI SANJAYA DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that representatives of various trade and industry are